

**कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जालोर**

**-:: आदेश ::-**

क्रमांक: रिमाण्ड/2026/19

दिनांक:- 15-10-2026

मैं राजेन्द्रसिंह चारण, लिंक अधिकारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जालोर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह **अक्टूबर, 2026** में राजकीय अवकाशों/अन्य अवकाशों हेतु पूर्व में जारी आदेश संख्या रिमाण्ड/2026/17 दिनांक 23.09.2026 में आंशिक संशोधन करते हुये जालोर न्यायक्षेत्र में स्थित न्यायालयों में दिनांक 16.10.2026 से 31.10.2026 तक विकल्प के रूप में आवश्यकतानुसार जरूरत पडने पर रिमाण्ड ड्यूटी करने हेतु **श्रीमती दिव्या गोदारा, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 जालोर** को अधिकृत करता हूँ-

**नोट:- पूर्व में पारित शेष आदेश यथावत रहेगा।**

  
(राजेन्द्रसिंह चारण)  
लिंक अधिकारी  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
जालोर

क्रमांक :- 1145-70

दिनांक:-15-10-2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जालोर को प्रतिलिपि प्रेषित कर निवेदन है कि यदि उपरोक्तानुसार अवकाश के दिन आवश्यक फौजदारी कार्य हेतु अधिकृत अधिकारीगण में से किसी अधिकारी को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की गई हो तो उसे निरस्त करने की कृपा करावें।
2. श्रीमान विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम प्रकरण न्यायालय, जालोर।
3. श्रीमान विशिष्ट न्यायाधीश, अनु.जाति/जन जाति (अत्या.निवा.) अधिनियम, जालोर।
4. श्रीमान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जालोर/भीनमाल/सांचौर।
5. जिला पुलिस अधीक्षक, जालोर वास्ते सूचनार्थ समस्त पुलिस थानाधिकारी।
6. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 1/2 जालोर/भीनमाल/सांचौर।
7. न्यायिक मजिस्ट्रेट जालोर/आहोर/भीनमाल/रानीवाडा/सांचौर।
8. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, सांचौर।
9. प्रोटोकॉल ऑफिसर, सहप्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय, जालोर
10. सिस्टम सहायक को वास्ते वेबपेज पर अपलोड करने हेतु
11. उपाधीक्षक, जिला कारागृह, जालोर को वास्ते सूचित करने जालोर के कारागृह
12. सहायक निदेशक, अभियोजन, जालोर।
13. अध्यक्ष, बार संघ जालोर/आहोर/भीनमाल/रानीवाडा/सांचौर।
14. कार्यालय पत्रावली।

  
(राजेन्द्रसिंह चारण)  
लिंक अधिकारी  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
जालोर